दिनांक 19.11.2019

आज यह हिन्दु वैवाहिक वाद पेश हुआ। पुकार पर वादी नवीन कुमार अपने अधिवक्ता श्री कृष्ण चन्द्र सिंह के साथ उपस्थित आए। विपक्षिया के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार द्विवेदी भी उपस्थित आए।

आज वादी नवीन कुमार के द्वारा 18 क प्रार्थना पत्र वाद वापस करने हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

वादी नवीन कुमार के 18क प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के अधिवक्ताओ को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

18 क प्रार्थना पत्र में वादी नवीन कुमार ने यह कथन किया है कि विपक्षिया प्रार्थी के साथ किसी भी सूरत में रहने को तैयार नहीं है जिससे उक्त वाद को आगे चलाने का कोई उद्देश्य नहीं रह गया है। प्रार्थी आगे लड़ना नहीं चाहता। प्रार्थी वाद को वापस लेना चाहता है। वादी नवीन कुमार ने 18क प्रार्थना पत्र के द्वारा वाद वापस करने की प्रार्थना की है।

चूँकि वादी नवीन कुमार आज इस हिन्दु वैवाहिक वाद (धारा–9 हिंदू विवाह अधिनियम) को चलाना नहीं चाहता है। अतः वादी नवीन कुमार का यह धारा–9 हिंदू विवाह अधिनियम का वाद, वापस लेने की अनुमति प्रदान करते हुए, निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार की जाए।

प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय, हमीरपुर